उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 96/2024/1720/छप्पन-2024-19/2005
लखनऊ: दिनांक 04 नवम्बर, 2024

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई उत्तर प्रदेश, लखनऊ में वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर कार्यरत श्री मोती राय को शासनादेश संख्या-1429(2)/छप्पन-2005-53/93 दिनांक 18 अक्टूबर, 2005 द्वारा रू0 20,000/- (रूपए बीस हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर 05 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री मोती राय द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 को वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। इसके उपरान्त समय-समय पर इनकी संविदा अवधि बढ़ाई गई है। अंतिम बार शासनादेश संख्या-1299/छप्पन-2019-19/2005, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा श्री मोती राय की संविदा अवधि दिनांक 28 अक्टूबर, 2019 से अग्रेतर 05 वर्ष के लिए बढ़ाई गयी थी, जो दिनांक 27 अक्टूबर, 2024 को समाप्त हो गई है।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा पत्र संख्या-148/ना0उ0नि0/व्य0पत्रा0/2024 दिनांक 22 अगस्त, 2024 एवं पत्र संख्या-205/ना0उ0नि0/व्य0पत्रा0/2024 दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 द्वारा वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ श्री मोती राय की संविदा सेवा अवधि वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रूपए 2,32,699.00 (रूपये दो लाख बत्तीस हजार छ: सौ निन्यानबे मात्र) एवं शासनादेश दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार यथासमय अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 से अग्रेत्तर 05 वर्ष अर्थात दिनांक 27 अक्टूबर, 2029 तक के लिए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन के निर्णयार्थ उपलब्ध कराया गया है।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई के अन्तर्गत वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर कार्यरत श्री मोती राय की संविदा अवधि वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रूपए 2,32,699.00 (रूपये दो लाख बत्तीस हजार छ: सौ निन्यानबे मात्र) एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार यथासमय अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 से आगामी 03 वर्ष (अर्थात 27 अक्टूबर, 2027 तक) के लिए बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- श्री मोती राय की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् जारी रहेंगी।

5- श्री मोती राय से संविदा सेवा वृद्धि के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध निष्पादित कर शासन को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराया जाएगा।

कुमार हर्ष
विशेष सचिव

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 96/2024/1720/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि श्री मोती राय**,** वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध निष्पादित करके उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री मोती राय**,** वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।